न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 60/2022

सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

कमला पत्नी भैरू जाति भांभी निवासी ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. अनिल शर्मा अप्रार्थी अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक– 07.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक 14 दिनांक 05.06.2002 को ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 506 मिन रकबा 02–06–10 बीघा किस्म बा0 3 (वर्तमान खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म बारानी 3) भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू–अभिलेख निरीक्षक नान्द की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तो के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर वर्तमान खाता संख्या नया 269 खाता संख्या पुराना 264 खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.3800 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री अनिल शर्मा अभिभाषक दिनांक 2.8.2022 को उपस्थित आये। जिन्हें दिनांक 11.10.2022, 20.12.22, 24.01.2023, 23.5.2023, 5.9.2023, को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किये । जवाब पेश नहीं किये जाने से दिनांक 10.10.2023, 12.12.2023, 6.2.2024, 5.3.2024, 30.4.2024, 25.6.

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

2024, 16.7.2024, 19.9.2024, 22.10.2024, 26.11.2024, 28.1.2025, 30.5.2025 को अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया । पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश कमांक 14 दिनांक 05.06.2002 को ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 506 मिन रकबा 02–06–10 बीघा किस्म बा0 3 (वर्तमान खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म बारानी 3) भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू–अभिलेख निरीक्षक नान्द की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा कांश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तो के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर वर्तमान खाता संख्या नया 269 खाता संख्या पुराना 264 खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.3800 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया गया की अप्रार्थी को हुए आवंटन/नियमन दिनांक 2002 के विरूद्ध आधारहीन रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है क्योंकि अप्रार्थी भूमिहीन कृषक होकर आवंटन/नियमन की सभी योग्ताओ को पूरा करता था एवं विवादित आराजीयात वरवक्त आवंटन राजकीय भूमि दर्ज होकर आवंटन/नियमन के लिए उपलब्ध भूमि थी जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड, मिस रिप्रजेन्टेशन अथवा विधिक शर्तो का उल्लंघन नहीं हुआ है। अप्रार्थी पिछले कई वर्षो से विवादित आराजी पर बहैसियत आवंटी/नियमन काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। चूंकि खातेदारी अधिकार आवंटन/नियमन की समस्त शर्तो की पालना के उपरान्त ही प्राप्त होते है ऐसी स्थिति में इतने पुराने आवंटन को मिथ्या एवं मनगढन्त आरोपो के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 को खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी भूमि आवंटन वर्ष 2002 से आज तक प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू–भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8–10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर की जमाबन्दी सं. 2076 के

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अनुसार नियमित भूमि आंवटी के नाम दर्ज है। राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार ''अतिचारियों को भूमि का आवंटन'' के उप नियम 1 के अनुसार भू. संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में आवंटन/नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में आवंटन/नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार ''आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो'' के तहत् आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं की जाने से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर के आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.38 हैक्टर किस्म बारानी 3 भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर